भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा 01 फ़रवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) आरबीआई, शिलांग के लिए **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए दोहरी - बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदाsएं (**05:00 बजे अपराहन, 12 जनवरी 2026** को या उससे पहले) आमंत्रित करता है, जिसमें बैंक द्वारा करार अवधि के अंत में मूल्यांकन की प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, एक बार में एक वर्ष के लिए तथा अधिकतम दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

निविदा दस्तावेजों के विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदा खंड" देखें। इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने आवेदन (तकनीकी और वित्तीय बोली) विधिवत रूप से भरकर एक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में, 'महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001' के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि और समय तक भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने होंगे। **"निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से निष्पादित की जाएगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से 'समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु आवेदन' लिखा होना अनिवार्य है।"**

"वित्तीय बोली (भाग-II) को एक अलग और सुरक्षित रूप से सीलबंद आंतरिक लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसे बाद में तकनीकी बोली (भाग-I) और अन्य सहायक दस्तावेजों वाले मुख्य सीलबंद बाहरी लिफाफे के भीतर संलग्न किया जाना चाहिए।"

निविदाकर्ता को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/की जाँच कर लेनी चाहिए। बैंक को निविदा को रद्द करने, उसमें संशोधन करने और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

किसी भी अन्य जानकारी या प्रश्न के लिए कृपया हमसे संपर्क करें (कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग

निविदा अनुसूची

नोट: यह निविदा प्रक्रिया ऑफलाइन/भौतिक माध्यम से निष्पादित की जाएगी। केवल मेघालय राज्य की श्रेणी-II/III/**IV** की सीए फर्में ही इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पात्रता की जाँच करने के लिए पहले हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदाएँ" लिंक पर जाएँ। आवेदन करने की इच्छुक पात्र निविदाकर्ताओं को अपने आवेदन (तकनीकी और वित्तीय बोली) विधिवत रूप से भरकर एक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में, 'महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001' के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि और समय तक भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने होंगे।

A.	निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा **01 फ़रवरी 2026**, से 30 सितंबर 2026, तक समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदा
B.	निविदा का मोड	इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने आवेदन (तकनीकी और वित्तीय बोली) विधिवत रूप से भरकर एक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में, 'महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001' के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि और समय तक भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने होंगे।
C.	निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है	**23 दिसम्बर 2025**, पूर्वाहन 11:00 बजे
D.	बोली-पूर्व बैठक की तिथि	**29 दिसम्बर 2025**, अपराहन 03:00 बजे
E.	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	तीसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीएसएनएल भवन, शिलांग – 793001
F.	निविदा का अनुमानित मूल्य	न्यूनतम **₹3.776 लाख** (सभी लागतों और जीएसटी सहित) @ ₹47,200/- प्रति माह (सभी लागतों और जीएसटी सहित)
G.	बयाना जमा राशि	**₹7,552/-** (अनुमानित लागत का 2%) [भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के पक्ष में खाता संख्या-**186003001**, IFSC – RBIS0SLPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) में NEFT के माध्यम से जमा किया जाना है, जिसमें NEFT लेनदेन टिप्पणी में आपका नाम/कंपनी का नाम/निविदा का नाम उल्लेखित किया गया हो] उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छूट दी गई है।
H.	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के अनुमानित मूल्य का 5%
I.	आरबीआई वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तिथि	**30 दिसम्बर 2025**

J.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	**12 जनवरी 2026** को अपराहन 05:00 बजे अथवा उससे पहले
K.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने की तिथि	**23 दिसम्बर 2025**, पूर्वाहन 11:00 बजे से
L.	वेबसाइट पर निविदा की उपलब्धता की अंतिम तिथि	**12 जनवरी 2026** को अपराहन 05:00
M.	निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) निविदा पेटी में जमा करने" (Submission in Tender Box).जमा करने की तिथि और समय	**12 जनवरी 2026** को अपराहन 05:00
N.	भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि और समय	**13 जनवरी 2026** को पूर्वाह्न 11:00
O.	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, शिलांग द्वारा स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा दिए गए वैध ईमेल के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा।

"यह सूचना केवल सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित क्रयकर्ता संस्था की सूचीबद्ध फर्मों तक ही सीमित है। अवांछित प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है। हालाँकि, जो फर्म भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहती हैं, वे प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई में नामांकन के लिए आवेदन कर सकती हैं।"

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा 01 फ़रवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) आरबीआई, शिलांग के लिए **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदाएं (**12 जनवरी 2026** को अपराहन 05:00 या उससे पहले) आमंत्रित करता है, जिसमें बैंक द्वारा करार अवधि के अंत में मूल्यांकन की प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, एक बार में एक वर्ष के लिए तथा अधिकतम दो और वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

निविदा दस्तावेजों के विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदा खंड" देखें। इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने आवेदन (तकनीकी और वित्तीय बोली) विधिवत रूप से भरकर एक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में, 'महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001' के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि और समय तक भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने होंगे। **"निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से निष्पादित की जाएगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से 'समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु आवेदन' लिखा होना अनिवार्य है।"**

निविदाकर्ता को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइटकी जाँच कर लेनी चाहिए। बैंक को निविदा को रद्द करने, उसमें संशोधन करने और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थान: शिलांग
दिनांक: **23 दिसम्बर 2025**

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग ने इच्छुक पक्षों को करार की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित, नहीं करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह आरबीआई या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

आरबीआई करार को आगे न बढ़ाने, करार के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरबीआई इस मामले में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

विषय सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	12-13
2.	निविदा अनुसूची	14-17
3.	निविदा सूचना/बोलीदाताओं के लिए निर्देश	18-19
4.	निविदा दस्तावेज़- विषय-वस्तु	20-27
i.	फार्म 1	21-23
ii.	फार्म 2	24
iii.	फार्म 3	25
iv.	फार्म 4	26
v.	फार्म 5	27
vi.	पात्रता मानदंड	28
vii.	मूल्यांकन मानदंड (अनुबंध I और II के साथ)	29-36
viii.	नियम और शर्तें	37-44
ix.	अनुबंध A:- वचनबद्धता	45
x.	अनुबंध B:- लेखा परीक्षक के लिए सारांश (सांकेतिक सूची)	46-56
xi.	अनुबंध C:- सहायक दस्तावेज़	57-58
xii.	अनुबंध D:- अनुबंध का मसौदा	59-74

निविदा आमंत्रण सूचना

ऑफलाइन माध्यम से

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा 01 फ़रवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) आरबीआई, शिलांग के लिए **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदाएं (**12 जनवरी 2026** को अपराहन 05:00 बजे या उससे पहले) आमंत्रित करता है, जिसमें बैंक द्वारा करार अवधि के अंत में मूल्यांकन की प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, एक बार में एक वर्ष, अधिकतम दो और वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

निविदा दस्तावेजों के विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदा खंड" देखें। इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने आवेदन (तकनीकी और वित्तीय बोली) विधिवत रूप से भरकर एक सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में, 'महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001' के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि और समय तक भौतिक रूप से (Offline Mode) जमा करने होंगे। **"निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से निष्पादित की जाएगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से 'समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु आवेदन' लिखा होना अनिवार्य है।"**

निविदाकर्ता को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइटकी जाँच कर लेनी चाहिए। बैंक को निविदा को रद्द करने, संशोधित करने और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थान : शिलांग
दिनांक: **23 दिसम्बर 2025**

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग

निविदा सूचना/ बोलीदाताओं के लिए निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग के लिए 01 फ़रवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए मेघालय राज्य के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-II, III/**IV** समवर्ती लेखा परीक्षा फर्मों से दो-बोली प्रणाली के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आरबीआई, शिलांग द्वारा करार अवधि के अंत में मूल्यांकन की एक प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, एक बार में एक वर्ष, अधिकतम दो और वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने से पहले कार्य का दायरा, निविदा के नियम और शर्तों को देखना चाहिए।
2. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता उसमें निर्धारित पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार करते समय बोलीदाता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियम और शर्तें थोपने या उन पर सहमति देने के लिए बाध्य करने, या यहाँ निहित नियमों और शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या छूट देने से नहीं रोकेंगी, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
3. कोटेशन में यदि कोई सुधार हो तो उसे प्राधिकृत व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
4. बोलीदाता/बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।
5. पहले चरण में, तकनीकी बोली (भाग-I) **13 जनवरी 2026** को पूर्वाह्न 11:00 बजे आरबीआई, शिलांग में खोली जाएगी। किसी भी बोलीदाता की बोली, जिसने नियमों और शर्तों में निर्धारित एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं किया है, उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज़ में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के पूर्ण विवेक पर होगा।
6. केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ (भाग-II) खोली जाएँगी जिन्हें प्रथम चरण में सूचीबद्ध किया गया है। चयनित बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

7. समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियों में कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएँगी। सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
8. सूचना का मिथ्याकरण/छिपाना बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर देगा/करार रद्द कर देगा, भले ही अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य दिया गया हो।
9. किसी बोली को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ की या किसी अन्य प्रलोभन की पेशकश करना, उस मामले में लागू प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा। ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा, साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
10. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. यदि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो वह अपनी बोली जमा करने से दस दिन पहले एचआरएमडी, आरबीआई शिलांग से स्पष्टीकरण मांगेगा। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, सभी विवरणों के साथ जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, स्पष्टीकरण मांगने वाले बोलीदाता की पहचान का खुलासा किए बिना सभी बोलीदाताओं को भी भेज दिया जाएगा। बोलीदाता और विभाग के बीच सभी संचार लिखित रूप में किए जाएंगे। बैंक द्वारा ऐसे किसी भी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसे एचआरएमडी, आरबीआई शिलांग द्वारा जारी निविदा दस्तावेज़ के लिए स्पष्ट रूप से परिशिष्ट के रूप में कहा गया है, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण अनुबंध के तहत बैंक को बाध्य या बंधन नहीं माना जाएगा।

निविदा दस्तावेज़ – सामग्री

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग द्वारा **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण दस्तावेज़ तैयार किया गया है। निविदा दस्तावेज़ में निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. फॉर्म 1 (तकनीकी बोली फॉर्म)

   ii. फॉर्म 2 (वित्तीय बोली प्रपत्र)

   iii. फॉर्म 3 (पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण)

   iv. फॉर्म 4 (पूर्णकालिक कार्यरत सीए का विवरण)

   v. फॉर्म 5 (बैंकों/आरबीआई ऑडिट में फर्म के अनुभव का विवरण)

   vi. पात्रता मानदंड

   vii. Evaluation Criteria (अनुबंध I & II के साथ)

   viii. नियम और शर्तें

   ix. वचन पत्र (अनुबंध-A)

   x. लेखा परीक्षक के लिए सारांश (अनुबंध-B)

   xi. सहायक दस्तावेज़ (अनुबंध-C)

   xii. मसौदा करार (अनुबंध-D)

2. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों की जाँच कर ले। निविदा दस्तावेज़ में अपेक्षित सभी जानकारी प्रदान न करने या ऐसी निविदा प्रस्तुत न करने का जोखिम बोलीदाता का होगा जो हर दृष्टि से निविदा दस्तावेज़ के अनुरूप न हो। इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली अस्वीकार की जा सकती है।
3. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के पाठ में कोई परिवर्तन, विलोपन या विलोपन नहीं करेगा या करवाने का कारण नहीं बनेगा।

फॉर्म-1: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	सीए फर्म का नाम	
2.	संविधान	
3.	पिन कोड सहित पूरा डाक पता	
4.	सीए फर्म की शाखाओं की संख्या और स्थान, यदि कोई हो	
5.	मोबाइल नंबर	
6.	टेलीफोन नंबर	
7.	ईमेल पता	
8.	सीए फर्म की स्थापना की तिथि **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है]**	
9.	आईसीएआई के साथ फर्म पंजीकरण संख्या **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है]**	
10.	यूनिक कोड संख्या - आरबीआई	
11.	फर्म की आरबीआई श्रेणी	
12.	जीएसटी संख्या **[जीएसटी पंजीकरण की प्रति जमा की जा सकती है]**	
13.	स्थायी खाता संख्या (पैन) **[पैन की प्रति जमा की जा सकती है]**	
14.	क्या आप वर्तमान में आरबीआई समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए कूलिंग पीरियड में हैं?	
15.	क्या आपने पहले आरबीआई में सांविधिक केंद्रीय/शाखा/समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया है?	
16.	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफसीए) भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या, जो पैनल में शामिल होने के वर्ष से ठीक पहले के कैलेंडर वर्ष के दौरान फर्म से विशेष रूप से जुड़े रहे हों। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में दिया जा सकता है]**	
17.	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या, जो फर्म के साथ पाँच वर्ष से अधिक और अधिकतम सात वर्ष तक अनन्य रूप से जुड़े रहे हों। **[पार्टनर्स का विवरण फॉर्म-3 में दिया जा सकता है]**	

18.	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या, जो फर्म के साथ सात वर्ष से अधिक और अधिकतम 10 वर्ष तक अनन्य रूप से जुड़े रहे हों। **[पार्टनर्स का विवरण फॉर्म-3 में दिया जा सकता है]**	
19.	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या, जो फर्म के साथ 10 वर्ष से अधिक समय तक अनन्य रूप से जुड़े रहे हों। **[पार्टनर्स का विवरण फॉर्म-3 में दिया जा सकता है]**	
20.	फर्म में कार्यरत योग्य सीए का नाम और सदस्यता संख्या। **[नियोजित सीए का विवरण फॉर्म-4 में दिया जा सकता है]**	
21.	केवल ऑडिट सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों, जैसे परामर्श, से अलग)। **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
22.	फर्म में कुशल कर्मचारियों की संख्या (सीए इंटरमीडिएट या उससे ऊपर के समूह 2)	
23.	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के पूर्ण अनुभव के वर्षों की संख्या। **[बैंक लेखा परीक्षा अनुभव का विवरण प्रपत्र-5 में प्रदान किया जा सकता है]**	
24.	आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक भागीदारों के नाम और सदस्यता संख्या।	
25.	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में आरबीआई लेखा परीक्षा में पिछले अनुभव का विवरण।	
26.	अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक सीए भागीदारों के नाम और सदस्यता संख्या। **[अतिरिक्त योग्यता का विवरण प्रपत्र-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
27.	क्या पिछले तीन वर्षों में सीए फर्म या उसके किसी सीए भागीदार को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई थी? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है।	
28.	क्या पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा सीए फर्म या उसके किसी सीए भागीदार को फटकार लगाई गई थी? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान किया जाए।	

29.	क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीए फर्म या उसके किसी सीए भागीदार/भागीदारों और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी/कर्मचारियों को व्यावसायिक कदाचार का दोषी ठहराया गया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान किया जाए।	
30.	क्या पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म ने निर्धारित समवर्ती लेखा परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था या आरबीआई द्वारा उसे सौंपी गई समवर्ती लेखा परीक्षा को निर्धारित तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले छोड़ दिया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान किया जाए।	
31.	क्या आपने वर्तमान में किसी अन्य आरबीआई कार्यालय/विभाग में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान किया जाए।	
32.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो फर्म इंगित करना चाहते है।	

मैं/हम निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं:

(1) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और हमें पूर्व में किसी भी संगठन द्वारा पैनल से हटाया/काली सूची में नहीं डाला गया है और हम RBI में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि बैंक को बाद में पता चलता है कि हमारे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी गलत/असत्य है, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(2) मैंने/हमने बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक ने बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
सीए फर्म के मुहर के साथ

फॉर्म-2: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: वित्तीय बोली फॉर्म

सीए फर्म का नाम	
पूरा पता	
भारतीय रिजर्व बैंक में हमारी समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए मासिक पारिश्रमिक (सभी लागतों सहित और लागू करों को छोड़कर) (राशि रुपए में - शब्दों और अंकों में)	

"वित्तीय बोली (भाग-II) को एक अलग और सुरक्षित रूप से सीलबंद आंतरिक लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसे बाद में तकनीकी बोली (भाग-I) और अन्य सहायक दस्तावेजों वाले मुख्य सीलबंद बाहरी लिफाफे के भीतर संलग्न किया जाना चाहिए।"

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
सीए फर्म के मुहर के साथ

फॉर्म-3: पूर्णकालिक साझेदारों का विवरण

पूर्णकालिक भागीदारों का नाम	कार्य प्रदान करने की तिथि		फर्म ज्वाइन करने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यता *	बैंक वैधानिक लेखा परीक्षा में वर्षों का अनुभव
	एसीए	एफ़सीए				

केवल तभी इंगित करें यदि साझेदार ने निम्नलिखित योग्यताएं अर्जित की हों

अतिरिक्त योग्यता	कहाँ से
सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (DISA)	ICAI
प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (CISA)	ISACA, USA
प्रमाणित लोक लेखाकार (CPA)	AICPA, USA
प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (CIA)	IIA, USA
प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (CFE)	ACFE, USA.
(i) IND AS (ii) फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी निवारण (iii) लोक वित्त एवं सरकारी लेखा (iv) बैंकों का समवर्ती लेखा परीक्षण (v) धन शोधन विरोधी कानून (vi) विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर	ICAI

फॉर्म-4: पूर्णकालिक कार्यरत CA का विवरण

नियोजित CA का नाम	फर्म में शामिल होने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यता	अनुभव

फॉर्म-5: बैंक/आरबीआई ऑडिट में फर्म के अनुभव का विवरण

लेखा परीक्षा का प्रकार *	बैंक का नाम	शाखा / कार्यालय	बैंकों/आरबीआई ऑडिट में फर्म का अनुभव (आज तक/से)

* वैधानिक केंद्रीय / वैधानिक शाखा / समवर्ती लेखा परीक्षा

VI. पात्रता मापदंड

बैंक आरबीआई, शिलांग के लिए **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. आवेदक फर्म को मेघालय राज्य के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-II/III/**IV** समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म होना चाहिए ताकि वह समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सके।
2. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 47,200/- रुपये (सैंतालीस हजार दो सौ रुपये) होगा, जिसमें सभी लागतें और जीएसटी शामिल होगा।
3. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम दर्शाने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. प्रत्येक मानदंड के संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न किए जाना अनिवार्य है। दस्तावेज़ों के प्रकार अनुबंध-सी में सूचीबद्ध हैं। फर्म की पात्रता फर्म द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर तय की जाएगी। यदि बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी और उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5. कृपया ध्यान दें कि वे फर्म जो वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक हैं और वे फर्म जिन्होंने अतीत में आरबीआई में ऐसे ऑडिट किए हैं, लेकिन 30 सितंबर 2025 तक ऐसे असाइनमेंट के पूरा होने के बाद कम से कम दो साल नहीं बीते हैं, वे पात्र नहीं हैं।
6. फर्म या उसके किसी भी भागीदार पर आईसीएआई द्वारा शुरू की गई कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।
7. फर्म या फर्म के साझेदारों को भारत या विदेश में किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन/संस्था द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।

VII. मूल्यांकन मानदंड

1. नियुक्ति पद्धति में दो चरणों वाली प्रक्रिया शामिल है, जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोली शामिल है, दोनों चरणों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन में एक योग्यता मानदंड होगा। बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि बोलियों के मूल्यांकन में दो चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी और तकनीकी मूल्यांकन वित्तीय बोलियों को खोलने से पहले पूरा किया जाएगा।
2. आवेदकों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पहले बताए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर, बोलीदाताओं से मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद और अनुबंध- । में नीचे दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
3. तकनीकी मूल्यांकन में, बोली लगाने वाली फर्मों को उनके-अपने तकनीकी अंकों के आधार पर अवरोही क्रम (descending order) में क्रमबद्ध किया जाएगा। शीर्ष पाँच फर्मों अथवा कुल बोली लगाने वाली फर्मों की संख्या (जो भी कम हो) को वित्तीय बोली मूल्यांकन हेतु विचार में लिया जाएगा। वित्तीय बोलियाँ खोलने के उपरांत, तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को 70:30 के अनुपात में संयोजित करते हुए अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। सर्वाधिक संयुक्त (कुल) अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता समवर्ती लेखा परीक्षक (Concurrent Auditor) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
4. इस निविदा में फर्म की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता सर्वोपरि है। नियुक्ति का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:
   i. बैंक उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिन्हें निविदा शर्तों के प्रति अनुत्तरदायी माना गया है। बैंक अर्हक अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय बताते हुए एक साथ सूचित करेगा। यह सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी।
   ii. वित्तीय बोलियाँ बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से खोली जाएँगी, जो उपस्थित होना चाहें (प्रत्येक बोलीदाता के लिए केवल एक प्रतिनिधि)। वित्तीय बोलियाँ खोलते समय बोलीदाता का नाम, गुणवत्ता स्कोर और प्रस्तावित मूल्य ज़ोर से पढ़े जाएँगे और दर्ज किए जाएँगे। आवेदकों की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन अनुबंध-II में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा।
   iii. अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को 70:30 के अनुपात में मिलाकर किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
   iv. अंतिम मूल्यांकन के बाद बराबरी की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के चार मानदंडों के आधार पर फर्म का मूल्यांकन करके बराबरी का समाधान किया जा सकता है। ये मानदंड हैं: (1) बैंक ऑडिट में सीए फर्मों का अनुभव (2) फर्म का अनुभव (3) पूर्णकालिक एफसीए पार्टनर्स और (4) औसत टर्नओवर। इन मानदंडों पर क्रमिक रूप से विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम मूल्यांकन के बाद

फर्म 'ए' और 'बी' के बीच बराबरी होती है, तो सफल बोलीदाता का निर्णय लेने के लिए 'बैंक ऑडिट में अनुभव' मानदंड के तहत प्राप्त अंकों पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त मानदंड के तहत भी बराबरी की स्थिति में, बाद के मानदंड यानी फर्म के अनुभव के तहत प्राप्त अंकों पर विचार किया जा सकता है, इत्यादि।

अनुबंध-I

आरबीआई में समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति - तकनीकी मूल्यांकन

क्रम	मापदंड	स्कोर स्केल	टिप्पणी
1.	सीए फर्म का अनुभव	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आधा अंक (0.5)। **[अधिकतम 15 अंक]**	आईसीएआई के आंकड़ों के अनुसार स्थापना वर्ष
2.	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (FCA) पार्टनर्स	प्रत्येक पूर्णकालिक एफसीए के लिए डेढ़ (1.5) अंक। **[अधिकतम 12 अंक]**	पैनल में शामिल होने के वर्ष से ठीक पहले के कैलेंडर वर्ष के दौरान फर्म से जुड़े पूर्णकालिक एफसीए की संख्या
3.	फर्म के साथ पूर्णकालिक सीए भागीदारों का संघ - भागीदारों की संख्या	• फर्म के साथ पांच वर्ष से अधिक और सात वर्ष तक जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए भागीदार के लिए एक अंक (1.0) • फर्म के साथ सात वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए भागीदार के लिए डेढ़ अंक (1.5) • फर्म के साथ दस वर्षों से अधिक समय से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक CA भागीदार के लिए दो अंक (2.0) **[अधिकतम 10 अंक]**	सीए पार्टनर की ज्वाइनिंग तिथि से पूरे हुए वर्ष
4.	प्रमुख पेशेवर कर्मचारी - पूर्णकालिक CA कर्मचारी	पूर्णकालिक CA कर्मचारियों के लिए एक अंक (1.0) प्रत्येक। **[अधिकतम 8 अंक]**	

5.	फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत केवल लेखा परीक्षा सेवाओं से (अन्य गतिविधियों जैसे परामर्श से अलग)	• मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई) में ₹100 लाख के औसत कारोबार और उसके गुणकों के लिए एक अंक (1.0), केवल ऑडिट सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य से अलग) • अन्य स्थानों पर 60 लाख और उसके गुणजों को पूरा करने पर एक अंक (1.0)। **[अधिकतम 10 अंक]**	उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली में स्थित किसी फर्म का औसत कारोबार 450 लाख रुपये है, तो उसे चार अंक मिलेंगे। गैर-महानगरीय केंद्रों में, समान कारोबार वाली फर्म को सात अंक मिलेंगे।
6.	कुशल कर्मचारियों की संख्या - सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में योग्य	पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारियों के लिए प्रत्येक के लिए चौथाई अंक (0.25) **[अधिकतम 12 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म में 30 पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारी हैं, तो 7.5 अंक दिए जाएंगे।
7.	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म का अनुभव	बैंक लेखा परीक्षा में समवर्ती लेखा परीक्षक और/या सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक और/या शाखा लेखा परीक्षक के रूप में सीए फर्म के एक वर्ष के अनुभव के लिए प्रत्येक को आधा अंक (0.5)। **[अधिकतम 20 अंक]**	दाहरण के लिए, यदि सीए फर्म के पास समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में 17 वर्ष का अनुभव है, तो 8.5 अंक दिए जाएंगे।
8.	बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा में आठ या अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले	बैंक वैधानिक लेखा परीक्षा में आठ या अधिक वर्षों का अनुभव	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के पास बैंक वैधानिक लेखा परीक्षा

	पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या।	रखने वाले पूर्णकालिक साझेदार के लिए एक अंक (1.0). **[अधिकतम 4 अंक]**	का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले पांच पूर्णकालिक साझेदार हैं, तो चार अंक दिए जाएंगे।
9.	समवर्ती लेखा परीक्षक/ सांविधिक केंद्रीय /शाखा लेखा परीक्षक के रूप में आरबीआई लेखा परीक्षा में पिछला अनुभव।	• आरबीआई में ऑडिट का कोई पूर्व अनुभव नहीं - [शून्य अंक] • आरबीआई में ऑडिट का पूर्व अनुभव - [3.0 अंक] **[अधिकतम 3 अंक]**	यदि किसी नई फर्म का आरबीआई के साथ कोई पूर्व लेखापरीक्षा अनुबंध नहीं है, तो उसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
10.	पूर्णकालिक सीए भागीदारों की अतिरिक्त योग्यताएं/ निरंतर कौशल उन्नयन।	• इनमें से किसी भी अतिरिक्त योग्यता के लिए प्रत्येक को आधा अंक (0.5) दिया जाएगा: (i) आईसीएआई से सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (डीआईएसए) (ii) आईएसएसीए, यूएसए से प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए) (iii) एआईसीपीए, यूएसए से प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए) (iv) आईआईए, यूएसए से प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए) (v) एसीएफई, यूएसए से प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई)। • आईसीएआई से किसी भी प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक पर चौथाई अंक (0.25) जैसे (i) आईएनडी एएस (ii) फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी	एक पूर्णकालिक सीए पार्टनर को केवल एक योग्यता के लिए अंक प्रदान किया जाएगा।

		रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन (iv) बैंकों का समवर्ती लेखा परीक्षा (v) एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर। **[अधिकतम 6 अंक]**	
पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड			
11.	पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई सीए फर्म या उसके किसी भी सीए भागीदार।	यदि पिछले तीन वर्षों में सीए फर्म या उसके किसी भी भागीदार को एनएफआरए द्वारा सलाह / चेतावनी / जुर्माना (मौद्रिक) जारी / लगाया गया है - [नकारात्मक 10 अंक]। **[अधिकतम '0' अंक]**	
12.	पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई CA फर्म या उसके किसी भी CA भागीदार।	यदि पिछले तीन वर्षों में सीए फर्म या उसके किसी भी भागीदार को गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा परामर्श जारी किया गया है, तो फर्म का स्कोर 10 अंक कम कर दिया जाएगा। **[अधिकतम '0' अंक]**	

13.	आईसीएआई के अनुसार पिछले पांच वर्षों में किसी सदस्य द्वारा किया गया व्यावसायिक कदाचार।	यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान सीए फर्म या उसके किसी सीए साझेदार/साझेदारों और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी/कर्मचारियों को व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया हो, तो फर्म का स्कोर 10 अंक कम कर दिया जाएगा। **[अधिकतम '0' अंक]**	
14.	पिछले तीन वर्षों में आरबीआई द्वारा आवंटित लेखा परीक्षा/लेखाओं से इनकार।	यदि पिछले तीन वर्षों में सीए फर्म ने समवर्ती लेखा परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था या निर्धारित तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले आरबीआई द्वारा सौंपी गई समवर्ती लेखा परीक्षा को छोड़ दिया था, तो फर्म का स्कोर 10 अंकों से कम हो जाएगा। **[अधिकतम '0' अंक]**	

अनुबंध-II

आरबीआई, शिलांग में समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति - वित्तीय बोली मूल्यांकन के मानदंड

क्रम	बोली का विवरण	सूत्र *
1	न्यूनतम बोली (L1)	L1 / L1
2	L-2	L1 / L2
3	L-3	L1 / L3
4	L-4	L1 / L4
5	L-5	L1 / L5
6	L-6	L1 / L6
	L-n	L1 / Ln

* दो दशमलव बिंदुओं तक का मान

वित्तीय मूल्यांकन के तहत स्कोर x = न्यूनतम वित्तीय बोली राशि L1

वित्तीय बोली राशि x

VIII. नियम और शर्तें

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), शिलांग की समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेघालय राज्य के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-II/III/IV समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) फर्मों से निविदाएं (तकनीकी और वित्तीय बोलियां) आमंत्रित की जाती हैं।
2. ऑडिट फर्म के प्रोफाइल में साझेदारों की जानकारी, कर्मचारियों की संख्या (कुशल) और इसी तरह के ऑडिटिंग के पिछले अनुभव आदि शामिल होने चाहिए।
3. दो चरणों वाली निविदा प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
   i. निविदा दो चरणों वाली प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोली शामिल है, दोनों चरणों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता मानदंड शामिल हैं।
   ii. पहला चरण तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन होगा। तकनीकी मूल्यांकन के विस्तृत मानदंड अनुबंध-I में दिए गए हैं। तकनीकी मूल्यांकन के अंतर्गत अधिकतम 100 अंक प्राप्त किए जा सकेंगे।
   iii. दूसरे चरण में तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाली फर्मों की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी। वित्तीय मूल्यांकन के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक 100 होंगे, जैसा कि अनुबंध-II में विस्तृत है।
   iv. अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को 70:30 के अनुपात में मिलाकर किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता आरबीआई शिलांग के समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
   v. अंतिम मूल्यांकन में बराबरी की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के चार मानदंडों के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है: (1) बैंक ऑडिट में सीए फर्मों का अनुभव (2) फर्म का अनुभव (3) पूर्णकालिक एफसीए पार्टनर्स और (4) औसत टर्नओवर। इन मानदंडों पर क्रमिक रूप से विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम मूल्यांकन के बाद फर्म 'ए' और 'बी' के बीच बराबरी होती है, तो सफल बोलीदाता का निर्णय लेने के लिए 'बैंक ऑडिट में अनुभव' मानदंड के तहत प्राप्त अंकों पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त मानदंड के तहत भी बराबरी की स्थिति में, बाद के मानदंड, यानी फर्म के अनुभव।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर चयनित फर्म, प्रारंभ में **01 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी, जिसमें अधिकतम दो और वर्षों के लिए, एक बार में एक वर्ष, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान होगा, बशर्ते कि करार अवधि के अंत में आरबीआई द्वारा मूल्यांकन प्रणाली के तहत संतोषजनक कार्य निष्पादन हो। कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कार्य की गुणवत्ता, तैनात चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य कुशल कर्मचारियों की पर्याप्तता, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की

समयबद्धता और आरबीआई द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य मानकों सहित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

5. **भुगतान नियम –**
   a. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹47,200/- (रुपये सैंतालीस हजार दो सौ मात्र) होगा, जिसमें जीएसटी और आरबीआई शिलांग के समवर्ती लेखा-परीक्षण के सभी खर्च शामिल होंगे। निर्दिष्ट पारिश्रमिक तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा और नवीनीकरण पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-जे और अन्य लागू करों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद किया जाएगा।
   b. उद्धृत पारिश्रमिक अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। फर्म द्वारा बिल जमा करने के बाद उचित अवधि के भीतर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। आरबीआई अपने नियंत्रण से परे कारणों से भुगतान में देरी के लिए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उद्धृत पारिश्रमिक एक वर्ष तक या समय विस्तार या नवीनीकरण पर बिना किसी वृद्धि के निश्चित और बाध्यकारी होगा।
   c. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। समवर्ती ऑडिट फर्म द्वारा मासिक पारिश्रमिक का बिल मासिक आधार पर जारी किया जा सकता है और सभी लागू वैधानिक करों की कटौती के बाद उसका निपटान किया जाएगा। भुगतान पूर्ण बिल जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर NEFT के माध्यम से किया जाएगा।
6. समवर्ती ऑडिट फर्म को न्यूनतम निर्धारित स्टाफ (1 चार्टर्ड अकाउंटेंट + 1 कुशल कर्मचारी) तैनात करना होगा। कुशल कर्मचारियों को कम से कम CA इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 या IPCC (एकीकृत व्यावसायिक दक्षता पाठ्यक्रम) के ग्रुप II में उत्तीर्ण होना चाहिए और आर्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। टीम को कंप्यूटर/सिस्टम का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
7. जुर्माना - कार्य समय के दौरान सभी कार्य दिवसों (सीटीएस कार्य दिवसों सहित) पर फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट/भागीदार की उपस्थिति अनिवार्य है। उपर्युक्त पैरा (बिंदु संख्या 6) में संकेतित कर्मचारियों को आरबीआई के सभी कार्य दिवसों पर उपस्थित रहना होगा और आरबीआई के कार्य समय का पालन करना होगा। उपरोक्त कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी बैंक द्वारा की जाएगी (भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक स्वाइप कार्ड)। तैनात कर्मचारियों/उपयुक्त समान/समकक्ष स्थानापन्न कर्मचारियों में से किसी एक या अधिक की अनुपस्थिति पर प्रतिदिन ₹500/- का जुर्माना लगेगा। सभी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य कम से कम छह महीने की अवधि के लिए निरंतर आधार पर बैंक में तैनात रहे। सामान्य तौर पर, फर्म द्वारा तैनात टीम में फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन केवल अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए, और ऐसी स्थितियों में भी, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चार्टर्ड

अकाउंटेंट और कुशल कर्मचारियों की पूरी टीम को कम से कम एक (01) महीने के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से बदला जाए।

8. वे फर्म जो वर्तमान में RBI की वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक/जीएसटी लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक हैं और वे फर्म जिन्होंने पूर्व में RBI में ऐसे लेखा परीक्षण किए हैं, लेकिन 30 सितंबर 2025 तक ऐसे कार्य को पूरा हुए कम से कम दो वर्ष नहीं हुए हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। फर्म को संलग्न अनुबंध-ए में इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची और 'समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए सारांश' अनुबंध-बी में दिया गया है। शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय के सभी विभाग समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आएंगे। फर्म बैंक के कर्मचारियों को सभी वैधानिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में सहायता करेगी। फर्म निर्दिष्ट अंतराल पर बैंक के आयकर/जीएसटी रिटर्न (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो सकते हैं) तैयार करेगी और दाखिल करेगी। उक्त सूची (अनुबंध-बी) केवल अनंतिम/ सांकेतिक प्रकृति की है और समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) द्वारा कार्य के क्षेत्रों को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए उद्धृत और सहमत मासिक पारिश्रमिक में कोई बदलाव नहीं होगा।
10. आरबीआई अपने कर्मचारियों को उपयुक्त बैठने की जगह के अलावा कोई अन्य सुविधा/शुल्क प्रदान नहीं करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके कर्मचारी आरबीआई परिसर के परिसर, संपत्तियों, फिक्स्चर, फिटिंग आदि का उपयोग अपने कार्य से संबंधित कार्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त देखभाल के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
12. **कार्य का दायरा –**

    i. लेखापरीक्षा के दायरे में निविदा दस्तावेज के अनुबंध -बी में उल्लिखित कार्य क्षेत्र शामिल होंगे।
    ii. कार्यक्षेत्र और कवरेज में निर्दिष्ट कार्यों को समय-समय पर बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर पारिश्रमिक में परिवर्तन किए बिना बढ़ाया जा सकता है।
    iii. करार अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान, क्षति या दावों के खिलाफ और सीए द्वारा कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण सीए द्वारा

किए गए उल्लंघन के लिए, सीए भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें उचित बनाए रखेगा।

iv. फर्म/सीए अपने द्वारा देखे गए किसी भी लेनदेन के संबंध में अपनी ओर से किसी भी चूक या चूक के लिए ज़िम्मेदार होंगे। यदि ऑडिट फर्म के कामकाज में कोई गंभीर चूक या चूक पाई जाती है, तो बैंक को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान को ऐसी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वे उचित समझें।

13. प्रत्येक तिमाही के अंत में बैंक की प्रबंधन टीम/विभागाध्यक्षों के साथ समवर्ती लेखा परीक्षकों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि तिमाही में कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की जा सके और कर कानूनों/संरचना में बदलावों और बैंक पर इसके प्रभाव पर चर्चा की जा सके।
14. निविदा भरते समय किए गए सभी मिटाने और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षरों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अंकों में ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विकल्प पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। भाग II निविदा खुलने के बाद पारिश्रमिक या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. निविदा का भाग-I, **13 जनवरी 2026** को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जाएगा और भाग-II पात्र निविदाकर्ताओं के लिए बाद में खोला जाएगा। फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक द्वारा दिए गए फॉर्म का ही उपयोग करें और किसी अन्य फॉर्म का उपयोग न करें। अपूर्ण निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
16. भारतीय रिज़र्व बैंक इस नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी कार्य को जोड़कर या हटाकर लेखापरीक्षा के दायरे में वृद्धि/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है। लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में इस परिवर्तन के कारण मासिक पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
17. इस नियुक्ति से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद मेघालय में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल मेघालय के न्यायालयों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।
18. फर्म/सीए, बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, करार या उसके किसी भाग को किसी अन्य फर्म को उप-किराए पर, हस्तांतरित या समनुदेशित नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक, लेखा परीक्षक के विरुद्ध बैंक के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार को रद्द करने हेतु लेखा परीक्षक को लिखित सूचना दे सकता है।
19. यह सुनिश्चित करना फर्म/सीए की ज़िम्मेदारी होगी कि इस करार की शर्तों के तहत दायित्वों का विधिवत पालन और पालन किया जाए। यदि सीए करार की शर्तों के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को

पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक बिना कोई कारण बताए नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

20. यदि लेखापरीक्षक फर्म दिवालियेपन का कोई कार्य करती है या दिवालिया घोषित की जाती है या निगमित कंपनी होने के कारण उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की देखरेख में, जैसा भी मामला हो, ऐसे दिवालियेपन या समापन के कार्यों में, उसे/उसे/उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि फर्म नियुक्ति को पूरा करने और उसके लिए सुरक्षा देने में सक्षम है, यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो।
21. यह माना जाएगा कि फर्म ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस करार या इसके निष्पादन के संबंध में सभी सामग्री और जानकारी जो उसके कब्जे या ज्ञान में आई है या आएगी, चाहे वह गोपनीय या मालिकाना डेटा हो या नहीं, हर समय उसके द्वारा सख्त गोपनीयता में रखी जाएगी और वह इसका उपयोग अपने दायित्वों के निष्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगी और इसे केवल उन कर्मचारियों को जारी करेगी जिन्हें यहां वर्णित दायित्वों के निष्पादन के उद्देश्य से ऐसी जानकारी की आवश्यकता है, किसी अन्य को नहीं।
22. समाप्ति खंड - यदि किसी भी समय बैंक फर्म द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर करार समाप्त कर सकता है। यदि फर्म सेवाएँ समाप्त करना चाहती है, तो उसे बैंक को इसी प्रकार का नोटिस देना होगा।
23. वाणिज्यिक शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा - इस नियुक्ति से उत्पन्न या इसके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग को भेजे जाएंगे और उनके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएंगे। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। यदि नियोक्ता या फर्म किसी भी प्रकार के मामले, प्रश्न या विवाद पर महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) के निर्णय से असंतुष्ट हैं, या बैंक द्वारा किसी ऐसे प्रमाणपत्र को रोके रखने के संबंध में, जिसका फर्म हकदार होने का दावा कर सकती है, तो ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या फर्म) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को एक लिखित सूचना दे सकता है जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विवादित मामलों का मध्यस्थता से निपटारा किया जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई अन्य नहीं होगा और इसके द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और मध्यस्थ का अंतिम निर्णय दोनों पक्षों द्वारा सहमत किया जाना

चाहिए या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मध्यस्थ, संदर्भ का भार स्वयं लेने से पहले, एक निर्णायक की नियुक्ति करेंगे। संपूर्ण मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी।

24. फर्म को श्रम अधिनियम, पीपीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी आदि से संबंधित सभी कानूनों का पालन करना होगा। इन कानूनों का पालन न करने के किसी भी दावे के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। फर्म को बैंक के सत्यापन के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों का विवरण देना होगा।

25. **यौन उत्पीड़न निवारण खंड –**

i. फर्म, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, फर्म द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और फर्म शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii. बैंक के किसी भी कर्मचारी/ग्राहक/आगंतुक के विरुद्ध फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii. फर्म अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

iv. यदि घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हों तो फर्म को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत, यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

26. उद्धृत मासिक पारिश्रमिक में जीएसटी शामिल नहीं माना जाएगा। यदि आवेदक निविदा में जीएसटी शामिल नहीं करता है, तो बैंक द्वारा उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर टीडीएस काटा जाएगा और फर्म को उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

27. वित्तीय बोलियों में पारिश्रमिक केवल फॉर्म-2 के अनुसार भारतीय रुपये (भारतीय रुपया) में, अंकों और शब्दों दोनों में, शामिल होना चाहिए। वित्तीय बोली के साथ कोई अन्य संलग्नक संलग्न करने की अनुमति नहीं है।

28. **गैर-प्रकटीकरण –**

i. फर्म/कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरा पक्ष को बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगी, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान फर्म/कंपनी के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेंगे। फर्म/कंपनी करार के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगी, सिवाय उस सीमा तक जब तक करार के तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो। फर्म/कंपनी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी। फर्म/कंपनी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगी।

ii. उपरोक्त का पालन न करने पर फर्म/कंपनी की ओर से करार का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। फर्म/कंपनी, आवश्यकतानुसार, इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करेगी। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में फर्म/कंपनी के दायित्व, किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

iii. चयनित फर्म को नियुक्ति/नियुक्ति की अवधि के विस्तार के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (स्थानीय स्टाम्प कानूनों के अनुसार मूल्य) पर एक हलफनामा-सह-क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि बैंक की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखी जा सके और साथ ही इसके द्वारा किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के कारण बैंक को किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जा सके।

29. **करार पर हस्ताक्षर –**

i. बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश और पूर्व में उल्लिखित विशेष शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम करार का आधार होंगी।

ii. साझेदारी फर्मों के मामले में, फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के साझेदार द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iii. निविदा स्वीकृति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसमें निर्दिष्ट तिथि से करार को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक करार/अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। सफल निविदाकर्ता मेघालय में लागू स्टाम्प

कानूनों के अनुसार उक्त समझौते पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

iv. सफल बोलीदाता को करार प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना इस प्रकार देनी होगी कि प्रस्ताव जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर बैंक को स्वीकृति प्राप्त हो जाए। इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार न करने और तदनुसार सूचित न करने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

v. करार पर हस्ताक्षर के बावजूद, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में बैंक और बोली लगाने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार नहीं होगी, चाहे ऐसा करार बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

मैंने/हमने उपरोक्त नियम व शर्तें पढ़ ली हैं और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्पष्ट बड़े अक्षरों में): .....

फर्म का नाम: .....

अनुबंध-ए

IX. वचन पत्र

हम, मेसर्स .....(फर्म का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... (फर्म का पता) में है, वर्तमान में आरबीआई के वैधानिक/ वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक/ जीएसटी लेखा परीक्षक/ समवर्ती लेखा परीक्षक नहीं हैं और 30 सितंबर 2023 से आरबीआई में इस तरह के ऑडिट नहीं किए हैं।

इसके अलावा, हम वर्तमान में 30 सितंबर 2023 के बाद से DICGC और NHB में वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हैं / अतीत में नियुक्त नहीं किए गए थे।

हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त क्षमताओं में अतीत में सेवा प्रदान करने की स्थिति में, 30 सितंबर 2025 से पहले दो वर्ष की कूलिंग अवधि का पालन किया गया था।

(फर्म की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान :

अनुबंध-बी

A. नियुक्ति संबंधी जानकारी

1. समवर्ती लेखा परीक्षा दल में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और एक कुशल कर्मचारी शामिल होना चाहिए। कुशल कर्मचारियों को कम से कम सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 या आईपीसीसी (एकीकृत व्यावसायिक दक्षता पाठ्यक्रम) के ग्रुप II में उत्तीर्ण होना चाहिए और आर्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। दल को कंप्यूटर/सिस्टम का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
2. ऑडिट फर्म के प्रोफाइल में साझेदारों की जानकारी, कर्मचारियों की संख्या (कुशल) और इसी तरह के ऑडिटिंग के पिछले अनुभव आदि शामिल होने चाहिए।
3. समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, अर्थात **1 फ़रवरी 2026** से 30 सितंबर 2026 तक। इसके बाद, कार्यालय द्वारा सीए के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा के अधीन, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए इसे नवीनीकृत किया जाएगा।
4. फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट/भागीदार की उपस्थिति अनिवार्य है और अपेक्षित स्टाफ के साथ उनकी उपस्थिति की निगरानी बैंक द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी।
5. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹47,200/- (रुपये सैंतालीस हज़ार दो सौ मात्र) जीएसटी सहित होगा। कोटेशन में आरबीआई शिलांग कार्यालय के ऑडिट के लिए कुल मासिक पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह पारिश्रमिक तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा और नवीनीकरण पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
6. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-जे के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
7. वित्तीय लेनदेन की लेखा परीक्षा के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में सीए को केवल देखने की अनुमति होगी।
8. इस कार्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर, भविष्य में सीए फर्म के कार्यों का दायरा और कवरेज बढ़ाया जा सकता है।
9. लेखापरीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय में समस्या क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
10. प्रस्तावित समवर्ती लेखा परीक्षा निरंतर आधार पर होगी और इस उद्देश्य के लिए सहायक वाउचर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे।
11. लेन-देन को समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

12. लेखा परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा और रिपोर्ट देनी होगी कि बैंक में वित्तीय परिचालन बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।
13. लेखा परीक्षकों को यह भी सत्यापित करना होगा और रिपोर्ट करना होगा कि क्या लेनदेन ठीक से रिकॉर्ड/दस्तावेजीकृत और प्रमाणित हैं।
14. लेखा परीक्षकों को मौके पर ही सुधार हेतु देखी गई कमियों पर एक दैनिक रिपोर्ट/लॉगबुक तैयार करनी होगी और उसे मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें हमारे कार्यालय में देखी गई प्रमुख कमियों पर भी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संवेदनशील क्षेत्रों या संदिग्ध या धोखाधड़ी प्रकृति के लेन-देन में पाई गई अनियमितताओं को गुप्त नोट के माध्यम से प्रभारी अधिकारी के नाम से सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई बड़ी अनियमितता/धोखाधड़ी/कमी पाई जाती है, तो उसे संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभागों और निरीक्षण विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
15. विभागों के कामकाज के पहलुओं पर किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के पीछे कारण बताए जाने चाहिए।
16. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जैसे कि "रिपोर्ट किया गया" ..... "समझाया गया" "सीखा गया" आदि। इसके बजाय, सीए को कारणों और प्रासंगिक सांख्यिकीय और अन्य डेटा द्वारा विधिवत समर्थित विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल करने का ध्यान रखना चाहिए।
17. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से वित्तीय, गैर-वित्तीय और अन्य प्रमुख अनियमितताओं पर मदवार कार्रवाई बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षित लेनदेन/वाउचरों को उचित रूप से दर्ज/दस्तावेजीकृत और प्रमाणित किया गया है। पूर्व रिपोर्टों की लेखापरीक्षा अनियमितताओं की अनुपालन स्थिति की अद्यतन स्थिति को लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए।
18. आवधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में संवेदनशील खातों, जैसे सस्पेंस, विविध खाते आदि में पुरानी और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों के संबंध में कार्रवाई और/या निष्क्रियता के कारणों का विवरण अनिवार्य रूप से उजागर किया जाना चाहिए।
19. नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों को मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
    i. "कार्यालय में वित्तीय परिचालन बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किया गया।"
    ii. "लेन-देन संपत्ति रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और वाउचर थे"

iii. "नियमों और शर्तों के अनुसार ऑडिट किए जाने वाले सभी क्षेत्रों का हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है।"

20. ऑडिट फर्म अपने द्वारा देखे गए किसी भी लेनदेन के संबंध में अपनी ओर से किसी भी चूक या चूक के लिए ज़िम्मेदार होगी। यदि ऑडिट फर्म के कामकाज में कोई गंभीर चूक या चूक पाई जाती है, तो बैंक को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान को ऐसी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे। ऑडिट फर्म को बैंक और उसके डेटा से संबंधित जानकारी की सुरक्षा के लिए एक हलफनामा और क्षतिपूर्ति पर हस्ताक्षर करना होगा।

B. सामान्य –

1. नियुक्ति के समय उन क्षेत्रों (लेखा परीक्षा का दायरा) की एक सूची दी जाएगी जिन पर समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) फर्म मासिक लेखा परीक्षा जाँच रिपोर्ट तैयार कर सकती है। सीए फर्म समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त लेखा परीक्षा क्षेत्र/क्षेत्रों को भी इस सूची में शामिल करेगी। सीए शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय के सभी विभागों को कवर करेंगे

i. औसतन, सीए द्वारा मासिक रूप से जांचे जाने वाले वाउचरों की संख्या लगभग 1000 होगी। हालाँकि, यह संख्या केवल सांकेतिक है और कार्यालय/विभाग की आवश्यकता के आधार पर वाउचरों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है।

ii. सीए से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय की प्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित हों और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी सभी प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों, प्रासंगिक मैनुअल में शामिल प्रावधानों, व्यय नियमों आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

iii. सीए से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक द्वारा लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए विकसित अनुप्रयोग - लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) से परिचित हों और रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत करें तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई पैरा (संशोधित पैरा सहित) तैयार करें।

iv. चार्टर्ड एजेंसियाँ निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में वाउचरों की जाँच करेंगी -

   a. बैंक के व्यय नियम का पालन,

   b. उचित लेखांकन शीर्षक के अंतर्गत वर्णन और लेखांकन,

   c. राजस्व और व्यय की पूंजीगत प्रकृति का सही लेखा-जोखा,

d. निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी प्रासंगिक खातों (जैसे आरबीआई सामान्य खाता, एसजीएल, सहायक रिकॉर्ड/रजिस्टर आदि) का रखरखाव,

e. अंतर-कार्यालय ऑटो सुलह खाता, समायोजन खाता,

f. मासिक अंतराल पर प्रभार खाते का समाधान और निगरानी,

g. एजेंसी कमीशन के दावों की गणना,

h. पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की जांच, प्रसंस्करण और पोस्टिंग।

v. एक सीए चेकलिस्ट प्रदान की जाएगी जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों का विवरण होगा जिन पर ऑडिट करते समय ध्यान देना आवश्यक है। चेकलिस्ट के अनुसार समवर्ती ऑडिट अनिवार्य है।

vi. सीए को संबंधित विभाग के परामर्श से सहमत तिथियों/दिनों पर वाउचरों/रिकॉर्डों/रजिस्टरों का ऑडिट करना चाहिए।

vii. सीए को मौके पर सुधार के लिए देखी गई कमियों (यदि कोई हो) की पहचान करनी होगी।

viii. चार्टर्ड एजेंसियाँ (CA) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सत्यापित करें और रिपोर्ट करें कि किए गए वित्तीय लेनदेन बैंक की निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

ix. चार्टर्ड एजेंसियाँ (CA) को कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार आवधिक आय समीक्षा विवरण से संबंधित रिपोर्टों का सत्यापन करना होगा, साप्ताहिक मामलों का विवरण (WSA), सारांश WSA, आय विवरण, आगे ले जाने योग्य प्रावधान रिपोर्ट को प्रमाणित करना होगा।

x. विभिन्न विभागों द्वारा सभी वित्तीय लेनदेन की जांच। विभिन्न विभागों द्वारा लेनदेन पर लागू करों, कर दरों की 100% जांच और भुगतान किए जाने से पहले संबंधित अधिकारियों को कर का उचित क्रेडिट और रिटर्न भरने से पहले उनका 100% सत्यापन।

xi. समवर्ती लेखा परीक्षक/फर्म बैंक के विभिन्न जीएसटी/आयकर (आईटी-टीडीएस)/पेशेवर कर रिटर्न (और बाद में लागू होने वाले अन्य संबंधित रिटर्न/रिटर्न) तैयार और दाखिल करेंगे। समवर्ती लेखा परीक्षक विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए कर संबंधी आंकड़ों की जाँच और सत्यापन भी करेंगे। विभाग कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एबीसी सेल के माध्यम से समवर्ती लेखा परीक्षकों को डेटा इनपुट प्रस्तुत करेंगे।

xii. ऊपर निर्दिष्ट सीए के कार्यों को कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में बढ़ाया जा सकता है।

2. समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित प्राप्त करेंगे और उनसे परिचित होंगे -

i. लेखापरीक्षा करते समय वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों का विवरण देने वाली सीए चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। चेकलिस्ट के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा अनिवार्य है।

ii. बैंक के संबंधित विभागों में उपलब्ध सामान्य प्रशासन मैनुअल, बैंकिंग विभाग मैनुअल और परिसर विभाग मैनुअल की अद्यतन प्रति, जिनका ऑडिट किया जाना है।

iii. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), केंद्रीय कार्यालय और अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा जारी मास्टर परिपत्रों की सभी प्रासंगिक प्रतियाँ। लेखापरीक्षा फर्म, शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी संबंधित मास्टर परिपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों में शामिल केंद्रीय कार्यालय परिपत्रों का संदर्भ लेने की भी व्यवस्था करेगी।

iv. बैंक के व्यय नियम और सरकार और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), केंद्रीय कार्यालय द्वारा बैंक के पिछले वार्षिक लेखा समापन की पूर्व संध्या पर जारी परिपत्र।

C. वित्तीय –

1. सभी विभागों के सभी वित्तीय लेन-देन, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आएंगे। जिन वाउचरों की जाँच की जाएगी, उनमें बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   a. बैंक के व्यय नियम।
   b. राजस्व/पूंजी (मृत स्टॉक खाता) खाता व्यय का विवरण और लेखा शीर्ष।
   c. संवर्गवार प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में स्वीकृति प्राधिकारी।
   d. संबंधित लेखा पैकेजों में लेनदेन की पोस्टिंग की शुद्धता।
2. सभी वित्तीय लेनदेन, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आएंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती होने के बिल (प्रत्यक्ष निपटान/प्रतिपूर्ति योजना)।

ii. चिकित्सा सहायता निधि खाते के अंतर्गत निपटाए गए दावे।

iii. सभी दंत चिकित्सा उपचार और अन्य चिकित्सा दावे।

iv. सेवानिवृत्त/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनुग्रहीत राशि/पारिवारिक अनुग्रही राशि की गणना, मृतक कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा ग्रेच्युटी और पैकेज की गणना।

v. जब भी केंद्रीय कार्यालय द्वारा वेतनमान/पेंशन संशोधन आदेश जारी किए जाते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण और पूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का पुनर्निर्धारण।

vi. कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि/पदोन्नति ग्रेड में वेतन का पुनर्निर्धारण।

vii. सभी विदेशी दौरे के बिल।

viii. किराए, करों, जल शुल्क आदि के सभी भुगतान।

ix. विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान (स्वीकृति-पूर्व, स्वीकृति-पश्चात और भुगतान-पश्चात सहित)।

x. बैंक के कर्मचारियों से बिजली बिलों की वसूली।

xi. न्यूनतम मजदूरी घटकों जैसे ईएसआईसी, पीएफ, आधार मजदूरी आदि में संशोधन पर बकाया भुगतान/वसूली की जाएगी।

xii. विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ), ट्रांजिट हॉलिडे होम (टीएचएच), हॉलिडे होम्स और अन्य वसूलियों का किराया संग्रह।

xiii. न्यूनतम मजदूरी घटकों जैसे ईएसआईसी, पीएफ, आधार मजदूरी आदि के संशोधन पर बकाया भुगतान/वसूली की जाएगी।

xiv. विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ), ट्रांजिट हॉलिडे होम (टीएचएच), हॉलिडे होम्स और अन्य वसूलियों का किराया संग्रह।

3. समवर्ती लेखा परीक्षक (i) शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) / नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव की शुद्धता को प्रमाणित करेगा, और फॉर्म। रिटर्न के माध्यम से रिपोर्ट करेगा और (ii) डीओएस (यूसीबी और डीसीसीबी / एसटी सीबी के लिए) और एफआईडीडी (आरआरबी के लिए) द्वारा कमी पर दंडात्मक ब्याज की गणना, यदि कोई हो।

4. शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर इंगित वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी अन्य लेखापरीक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की जानी है।

5. सभी वित्तीय प्रतिबंधों का समवर्ती लेखा-परीक्षण किया जाएगा और फर्म/कंपनी को रिपोर्ट करना आवश्यक होगा:

a. प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे के प्राधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी को वित्तीय मंजूरी में अधिकता/अनियमितता।

b. केंद्रीय कार्यालय के निरीक्षण विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनियमित स्वीकृतियां।

c. समवर्ती लेखा परीक्षक को यह बताना चाहिए कि बैंक के अधिकारियों और प्रभारी अधिकारी द्वारा वित्तीय मंजूरी/वित्तीय शक्तियों का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित व्यय नियम के अनुसार है या नहीं।

D. गैर-वित्तीय –

1. उपरोक्त लेनदेन-आधारित वाउचर/दावों/बिलों आदि की 100% जांच करने के अलावा, समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच/संवीक्षा करेगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है **:**

   i. केंद्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों/मैनुअल प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षित अधिकारियों द्वारा अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में रखे गए चेक बुक/स्टाम्प और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आकस्मिक लेखापरीक्षा जाँच की जाएगी। समवर्ती लेखा परीक्षक यह जाँच कम से कम छह महीने में एक बार करेगा।

   ii. आवास ऋण खाता दस्तावेजों, अन्य दस्तावेजों, समझौतों, चेक बुक, स्टेशनरी वस्तुओं, कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियों और मूल्यवान वस्तुओं का संरक्षण और चेक बुक और मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा।

   iii. उचंत खाते, विविध जमा खाते आदि के सही मासिक विवरण तैयार करके समय पर प्रस्तुत करना और अन्य मासिक विवरण सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), केंद्रीय कार्यालय को भेजना। इन संवेदनशील खातों में दो महीने से अधिक समय से लंबित और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों की सूची संलग्न की जाएगी और रिपोर्ट में टिप्पणी की जाएगी।

   iv. स्वीकृत बजट आवंटन के सापेक्ष कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए मासिक और त्रैमासिक प्रभार खाता समीक्षा में प्रभार खाते में शेष राशि की शुद्धता का समाधान, निगरानी और प्रमाणन।

   v. व्यक्तिगत स्टाफ आवास ऋण वसूली खाता पत्रकों के कुल बकाया शेष का जीएल और एसजीएल खाता शेष के साथ मासिक संतुलन/समाधान।

   vi. स्टाफ हाउसिंग लोन खातों की बकाया राशि पर वार्षिक ब्याज का आवेदन, और कमीशन खाता, एक्सचेंज खाता, डिस्काउंट खाता, बैंक की परिसंपत्तियों की बिक्री या अन्यथा से लाभ और हानि खाते, मूल्यह्रास और अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधान खातों में लेखांकन प्रविष्टियां पारित करना और वार्षिक समापन खातों आदि को डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों आदि के अनुरूप तैयार करना।

vii. नाबार्ड कर्मचारियों के संबंध में बनाए गए भविष्य निधि खातों के मासिक संतुलन की जांच/संवीक्षा करना, पीएफ शेष पर अर्धवार्षिक ब्याज का आवेदन, पीएफ शेष से अग्रिम/निकासी, पीएफ शेष की वापसी।

viii. कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा जांच के लिए सुझाए गए किसी भी केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित विवरण/नियंत्रण रिटर्न।

ix. समवर्ती लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय में लेखापरीक्षित बैंक के आय खाते में ब्याज, विनिमय, कमीशन, छूट आदि का कोई रिसाव न हो और बैंक के संबंधित कार्यालय का प्रतिनिधि/प्रतिनिधि केंद्रीय कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाओं और अन्य सुविधाओं पर जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशानिर्देशों में कोई एकतरफा परिवर्तन न करे। संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग की विशिष्ट पूर्व स्वीकृति के बिना किए गए किसी भी आय रिसाव/विचलन को तत्काल कार्रवाई/सुधार हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर किया जा सकता है।

x. समवर्ती लेखा परीक्षक को वास्तविक लेनदेन/स्वीकृति के संदर्भ में सिस्टम में प्रविष्टियों का सत्यापन करना चाहिए।

xi. बैंक की संपत्तियों के बीमा की जाँच

xii. पेंशन राशि की गणना की जाँच

xiii. बैंक की नई अचल संपत्ति नीति का पालन और संपदा विभाग द्वारा जड़ वस्तुओं के समाधान का सत्यापन.

कर लगाना –

1. समवर्ती लेखा परीक्षक को स्रोत पर काटे गए कर की सत्यता की जांच और पुष्टि करनी चाहिए (लागू की गई दर, कटौती का समय और प्रेषण का समय आदि) और कार्यालय द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने की भी पुष्टि करनी चाहिए।
2. समवर्ती लेखा परीक्षक को बैंक के कर्मचारियों को सभी वैधानिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में सहायता करनी चाहिए। फर्म निर्धारित अंतराल पर बैंक के जीएसटी/आयकर/व्यावसायिक कर रिटर्न (और बाद में लागू होने वाले अन्य संबंधित रिटर्न) तैयार और दाखिल करेगी।
3. समवर्ती लेखा परीक्षक को विभिन्न विभागों से डेटा एकत्रित करना चाहिए ताकि बैंक अपनी कर देनदारियों का भुगतान कर सके।

4. समवर्ती लेखा परीक्षक को जीएसटी दरों/नियमों/कानूनों में परिवर्तन, न्यूनतम मजदूरी (आधार दर, ईएसआईसी, पीएफ आदि) में परिवर्तन के बारे में कार्यालय को सूचित करना चाहिए, जैसा कि संबंधित सरकारी विभागों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, ताकि कार्यालय परिवर्तनों का तत्काल कार्यान्वयन कर सके।
5. समवर्ती लेखा परीक्षक को बैंक के कर्मचारियों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर कराधान, बैंक पर लागू विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं आदि का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था करनी चाहिए।

E. शेष राशि की पुष्टि –

1. समवर्ती लेखा परीक्षक की फर्म निम्नलिखित कार्य करेगी –
   i. शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, रजिस्टरों, आवधिक केंद्रीय कार्यालय निर्धारित नियंत्रण रिटर्न और विवरण आदि का समवर्ती लेखापरीक्षा।
   ii. लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में विविध रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, बयाना राशि जमा/सुरक्षा जमा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर आदि शामिल हो सकते हैं।
   iii. समवर्ती लेखा परीक्षक शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श से सहमत तिथियों/दिनों पर सीबीएस/ कुबेर में भौतिक/डिजिटल मोड में वाउचर/रिकॉर्ड/रजिस्टरों का लेखा-परीक्षण करेगा।
   iv. सामान्य खाता बही खाते/सहायक सामान्य खाते/सहायक अभिलेख/रजिस्टर निर्धारित रूप से तैयार किए जाते हैं और सीबीएस/ कुबेर में उचित रूप से अनुरक्षित किए जाते हैं।
   v. समवर्ती लेखा परीक्षक, विभाग के प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लिखित रूप से उपरोक्त (ए) से (डी) में देखी गई किसी भी विचलन/अनियमितता/कमी को लाएगा जो बैंक के व्यय नियमों/बैंकों के सामान्य प्रशासन मैनुअल/केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों/दिशानिर्देशों के साथ असंगत हो और बिना किसी अनुचित देरी के मौके पर ही अनियमितता के तत्काल सुधार/सुधार सुनिश्चित/व्यवस्था करेगा।
   vi. प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को तैयार किए गए साप्ताहिक विवरण की सत्यता को प्रमाणित करें, जिसे डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाना है।
   vii. आय और व्यय खातों, जड़ खातों, ऋण खातों और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित किसी भी अन्य खाता/जीएल शीर्ष में शेष राशि की मासिक पुष्टि प्रमाणित करें।

viii. आय समीक्षा विवरण की सत्यता प्रमाणित करें, जिसमें उपार्जित लेकिन अप्राप्त आय / किए गए लेकिन भुगतान न किए गए व्यय शामिल हैं। उक्त विवरण सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च और मई को समाप्त महीनों के लिए डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय को भेजना आवश्यक है।

F. अन्य –

1. समवर्ती लेखा परीक्षक मासिक वैधानिक और विनियामक अनुपालन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उन्होंने लेनदेन की 100% जांच की है और आरबीआई, शिलांग द्वारा प्रासंगिक क़ानूनों/नियमों/अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन किया गया है।
2. समवर्ती लेखा परीक्षक प्रत्येक माह की 10 तारीख को शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) को मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और पिछली रिपोर्ट में या अन्यथा बताई गई लेखा परीक्षा अनियमितताओं की अनुपालन स्थिति पर टिप्पणियां बाद की रिपोर्ट में शामिल करेगा।
3. समवर्ती लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बैंक द्वारा विकसित अनुप्रयोग - लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) से परिचित हों और रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई पैरा (संशोधित पैरा सहित) बनाएं।
4. समवर्ती लेखा परीक्षक फर्म को सूचित किया जाता है कि वे अभिलेखों की जांच/लेखापरीक्षा करते समय लाल रंग की कलम का उपयोग करें और जांच के अधीन अभिलेखों पर दिनांक और आद्याक्षर के साथ "जांच/लेखापरीक्षित" की रबर स्टाम्प लगाएं।

G. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ -

1. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय और गैर-वित्तीय (प्रमुख और अन्य) कार्रवाई पैरा पर मदवार कार्रवाई बिंदुओं का संकेत दिया जाना चाहिए।
3. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं के संबंध में अनुपालन की स्थिति भी दर्शाई जानी चाहिए, जिन्हें माह के दौरान सुधारा गया था और लंबित अनुपालनों में देरी का कारण, यदि कोई हो, भी दर्शाया जाना चाहिए।
4. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संवेदनशील खातों, जैसे सस्पेंस, विविध आदि में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के संबंध में निष्क्रियता के कारणों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

5. संवेदनशील क्षेत्रों में पाई गई अनियमितताओं और/या संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन को विशेष नोट दर्ज करके प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
6. समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, जहां भी आवश्यक हो, तथ्यों और आंकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित विशिष्ट टिप्पणियां शामिल की जानी चाहिए।
7. यदि कोई बड़ी अनियमितताएं/धोखाधड़ी/आय में रिसाव पाया जाता है, तो उसे लेखापरीक्षित कार्यालय (शिलांग क्षेत्रीय कार्यालय), संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग और निरीक्षण विभाग के प्रभारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

अनुबंध-सी

XI. पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे

क्रम	ब्योरा	प्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए
1.	चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्म का प्रमाण	i. आईसीएआई प्रमाणपत्र* ii. मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन / निगमन प्रमाणपत्र / साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति।
2.	पैन पंजीकरण का प्रमाण	पैन कार्ड की प्रति
3.	जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण	जीएसटी पंजीकरण की प्रति
4.	भागीदारों का विवरण	i. साझेदारी विलेख और/या इसी प्रकार का अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ और ii. आईसीएआई फर्म कार्ड*
5.	फर्म का अनुभव - वर्षों की संख्या	आईसीएआई फर्म कार्ड*
6.	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) की संख्या	आईसीएआई फर्म कार्ड*
7.	एक ही फर्म के साथ जुड़ाव - भागीदारों की संख्या	i. आईसीएआई फर्म कार्ड* ii. मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन / निगमन प्रमाणपत्र/ साझेदारी विलेख / इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति।
8.	वर्तमान में तैनात पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों की संख्या – प्रमुख पेशेवर कर्मचारी	i. आईसीएआई फर्म कार्ड* **ii.** नियुक्ति पत्र
9.	कुशल कर्मचारियों की संख्या - सीए इंटरमीडिएट के समूह 2 में योग्य	i. सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में उत्तीर्ण होने के समर्थन में आईसीएआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र/अंक पत्र और

		ii. फर्म द्वारा घोषणा
10.	बैंक लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण: i) सिस्टम/आईएस लेखापरीक्षक ii) समवर्ती लेखापरीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखापरीक्षक	i. अनुभव के लिए, केवल वर्षों की संख्या ही मान्य होगी, संस्थानों की संख्या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष वर्ष में फर्म ने तीन बैंकों में ऑडिट किया है, तो अनुभव के वर्षों की संख्या केवल एक मानी जाएगी, तीन नहीं। ii. अनुभव पत्र/नियुक्ति पत्र वर्षवार संलग्न किए जाने चाहिए।
11.	आरबीआई ऑडिट में पिछले अनुभव का विवरण	आरबीआई द्वारा आरबीआई ऑडिट और प्रदर्शन के आकलन का प्रासंगिक अनुभव प्रदान करना होगा। यदि बोलीदाता द्वारा उपरोक्त दस्तावेज़ संलग्न नहीं किया जाता है तो अंक नहीं दिए जाएंगे।

* आईसीएआई फर्म कार्ड और आईसीएआई प्रमाणपत्र 01 जुलाई 2025 और बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बीच तैयार किया जाएगा।

अनुबंध-डी

XII. करार का अंतर्नियम प्रारूप

यह करार भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग - 793001 (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित है), (सिवाय उन परिस्थितियों में, जहाँ इस शब्द का प्रयोग प्रतिकूल न हो, और इसमें उनके सहयोगी, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल हैं यथा **पहला पक्ष**

और

मेसर्स_____,जिसका कार्यालय _____ (इसके बाद समवर्ती" (लेखा परीक्षक" के रूप में संदर्भित है(सिवाय उन परिस्थितियों में, जहाँ इस शब्द का प्रयोग प्रतिकूल न हो, और इसमें उनके सहयोगी, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल हैं **यथा दूसरा पक्षकार** के बीच दिनांक..... 2026 को निष्पादित किया गया।

जबकि समवर्ती लेखापरीक्षक इस अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि से भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग समवर्ती लेखा परीक्षा निष्पादित कर रहा है;

और जबकि बैंक पत्र संख्या _____ दिनांक_____ में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु समवर्ती लेखा परीक्षक की सेवाओं का लाभ प्राप्त के लिए इच्छुक है।

और जबकि बैंक और समवर्ती लेखा परीक्षक उन नियमों और शर्तों के अधीन इस कार्य हेतु इच्छुक हैं जिनके तहत समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा उक्त सेवाएं प्रदान की जानी हैं।

अब एतदद्वारा बैंक और समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा और उनके बीच इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है

1. निविदा दस्तावेज और उसके सभी अनुलग्नक/संलग्नक अनुबंध का भाग हैं। समवर्ती लेखापरीक्षक निविदा के नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

2. यह करार ---------- से लागू होगा और ---------- तक लागू रहेगा जब तक इसमें निहित शर्तों के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जाता है।

3. निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तों में निहित खंड संख्या (5) के अनुसार और इनवॉइस प्रस्तुति के अधीन, लागत को कवर करने वाली राशि रु._____ के उद्धृत शुल्क मासिक आधार पर देय होंगे।

3.1 बैंक के अधिकारी इस आशय से विधिवत प्रमाणित करेंगे कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं और इसके पश्चात सभी सांविधिक देयों/करों आदि में कटौती करने के बाद उनका भुगतान किया जाएगा।

4. **प्रतिनिधित्व :**

4.1 समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत है कि यह, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है या एलएलपी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक एलएलपी है या साझेदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत साझेदारी विलेख के साथ साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म है। समवर्ती लेखा परीक्षक एक श्रेणी-II//III/IV चार्टर्ड एकाउंटेंट है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है।

4.2 समवर्ती लेखा परीक्षक यह वचन देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के लिए तैनात की जाने वाली समवर्ती लेखा परीक्षा टीम का नेतृत्व एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा तथा एक कुशल कर्मी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

4.3 सभी समवर्ती लेखापरीक्षा कर्मचारियों को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होगा। कुशल कर्मचारियों को न्यूनतम आईपीसीसी के समूह-I और II की योग्यता होनी चाहिए या आईपीसीसी के समूह-I या II की योग्यता होनी चाहिए और आर्टिक्ल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होने चाहिए।

4.4 समवर्ती लेखापरीक्षक इस बात से सहमत है कि लेखापरीक्षा दल बैंक के सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग में उपस्थित रहेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यालय की आवश्यकतानुसार, यदि अपेक्षित हो, शनिवार और रविवार और अन्य अवकाश, को भी उपस्थित रहेंगे।

5. **लेखापरीक्षा का दायरा**:

5.1 लेखापरीक्षा के दायरे में निविदा दस्तावेज के अनुबंध-बी में उल्लिखित कार्य क्षेत्र शामिल होंगे।

5.2 बैंक की जरूरतों के आधार पर दायरे और कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों को समय-समय पर पारिश्रमिक में बदलाव के बिना बढ़ाया जा सकता है।

6. फर्म द्वारा संवेदनशील क्षेत्र/लेन-देन में देखी गई अनियमितताएँ, जो संदेहास्पद या धोखाधड़ी प्रकृति की हैं, को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

7. ऑडिटिंग फर्म किसी भी लेनदेन के लेखा परीक्षा के संबंध में किसी भी भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगी। इन मामलों में, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऐसे कार्यों, जैसा उचित समझे, के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को सूचित करे।

8. **वारंटी :**

8.1 समवर्ती लेखापरीक्षा का कार्य दैनिक आधार पर संपादित किया जाएगा। ऑडिट टीम को सहायक नोट आदि / अभिलेखों का ऑनलाइन एक्सेस सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय लेनदेन की समवर्ती लेखापरीक्षा करवाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

8.2 समवर्ती लेखापरीक्षक निम्नलिखित के संबंध में शत प्रतिशत लेखापरीक्षा जांच करेंगे :-

(a) स्टाफ और विक्रेता भुगतान से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन।

(b) सभी वित्तीय लेनदेन समवर्ती लेखा परीक्षा (जिसमें स्वीकृति पूर्व, स्वीकृति उपरांत और भुगतान उपरांत के चरण शामिल हैं) के अधीन होना चाहिए ताकि बैंक की व्यय नियमावली और एसआरसीसी मानदंडों की अनुरूपता सुनिश्चित हो सके, जिसमें लेन-देन की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय लेनदेन की स्वीकृति और भुगतान के बाद भी शत प्रतिशत जांच अपेक्षित है।

(c) समवर्ती लेखा परीक्षक को प्रमाणित करना चाहिए कि उन्होंने लेनदेन की 100% जांच की है और संबंधित कानूनों/नियमों/अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन किया गया है।

9. **क्षतिपूर्ति खंड:** समवर्ती लेखा परीक्षक बैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को उनके द्वारा ऑडिट किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में और सभी दावों (तीसरे पक्ष के दावों सहित) कार्यों के संबंध में किसी भी भूल-चूक के लिए क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूरित बनाए रखने के लिए सहमत है, जिसमें नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, कानूनी खर्च सहित शुल्क, जो बैंक को समवर्ती लेखा परीक्षक की निम्नलिखित कृत्यों के परिणामस्वरूप किसी भूल-चूक के कारण वहन करना पड़ सकता है:

9.1 अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी भी लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या

9.2 समवर्ती लेखा परीक्षक के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-निष्पादन; या

9.3 समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा दी गई वचनबधता और वारंटी का उल्लंघन; या

9.4 समवर्ती लेखा परीक्षक या उनकी ओर से तीसरे पक्षकार की लापरवाही या धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या भूल-चूक;

10. समवर्ती लेखा परीक्षक अपने स्टाफ या एजेंट / प्रतिनिधियों के किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा और समवर्ती लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मियों / कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में या अन्यथा, प्रत्यक्ष और/अथवा परोक्ष रूप से, बैंक के साथ या उसके विरुद्ध कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे। इसके अलावा, समवर्ती लेखापरीक्षक सदैव बैंक को उन सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियम या किसी भी कानून या मुआवजे के नियमों के तहत होंगे, जो इस करार के प्रयोजन के तहत रोजगार के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय होगा। समवर्ती लेखापरीक्षक अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य देय राशि के साथ-साथ उनके द्वारा की गई भूल-चूक के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

10.1 गैर-प्रकटीकरण: समवर्ती लेखापरीक्षक इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकदार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी

ढांचासिस्टम/उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या/ अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। समवर्ती लेखा परीक्षक, लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर इस संविदा के ब्योरे को निजी दायरे में और गोपनीय बनाए रखेगा। समवर्ती लेखापरीक्षक, नियोक्ता की पूर्वलिखित अनुमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, नही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। समवर्ती लेखापरीक्षक किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना संविदा भंग माना जाएगा और बैंक संविदा की समाप्ति के अलावा अपने विवेकानुसार हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

समवर्ती लेखापरीक्षक इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों से संबन्धित सभी उचित कार्रवाई करेगा। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षक के दायित्व इस करार की समाप्ति या किसी भी कारण से की गयी समाप्ति से परे रहेंगे।

11. जुर्माना

सेवाओं में किसी भी कमी या किसी भी शिकायत पर ध्यान न देने की स्थिति में, बैंक निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तों में निहित खंड संख्या (7) के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षक पर जुर्माना लगा सकता है।

करार की समाप्ति:

12. इसमें ऊपर निहित से किसी पूर्वाग्रह के बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के लिखित नोटिस द्वारा इस करार को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

क) बैंक की राय में (जिसपर समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा प्रश्न नहीं किया जाएगा और जो समवर्ती लेखा परीक्षक पर बाध्यकारी होगा) समवर्ती लेखा परीक्षक इस करार को बैंक की संतुष्टि के लिए लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है, और/या

ख) समवर्ती लेखा परीक्षक इस अनुबंध/निविदा के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, और/या

ग) समवर्ती लेखापरीक्षक को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ करार किया जाता है या यदि आपात या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लागू होती है या समवर्ती लेखा परीक्षक की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है, और/या

घ) किसी भी कारण से, समवर्ती लेखा परीक्षक इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में वंचित हो जाता है, और/या

ङ) बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना समवर्ती लेखापरीक्षक या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

च) बैंक किसी भी समय फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो बैंक एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है।

13. किसी भी कारण से इस करार के समाप्त होने की स्थिति में, समवर्ती लेखापरीक्षक/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में या अन्यथा बैंक से किसी भी राशि के लिए हकदार नहीं होंगे।

मध्यस्थता

14. यदि इस करार को बनाए जाने के संबंध में या इस करार में निहित या इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में या उक्त पार्टियों के अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के संबंध में पार्टियों के बीच किसी भी समय कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न उठता है, इसे माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और मध्यस्थ के निर्णय / मध्यस्थों के पैनल दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थता का स्थान

शिलांग, मेघालय , भारत होगा। इसके अलावा ऐसे विवाद, मतभेद या प्रश्न, यदि कोई हों, को शिलांग में उत्पन्न माना जाएगा और इसे निर्धारित करने का अधिकार केवल शिलांग की अदालतों को होगा।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियम' के प्रावधानों का अनुपालन

15.1 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियम' के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से समवर्ती लेखापरीक्षक का होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी। उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षक समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

15.2 फर्म / कंपनी के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

15.3 समवर्ती लेखापरीक्षा फर्म / कंपनी के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए समवर्ती लेखापरीक्षक उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि समवर्ती लेखापरीक्षा फर्म / कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत।

15.4 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी समवर्ती लेखापरीक्षक की होगी।

15.5 समवर्ती लेखापरीक्षक अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

कि इस संविदा को समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा पढ़ा गया है और समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि समवर्ती लेखा परीक्षक एक साझेदारी या स्वामित्व वाली संस्था है	जिसके साक्ष्य में बैंक और समवर्ती लेखापरीक्षक ने इन पर और दो डुप्लीकेट प्रतियों पर इसके ऊपर लिखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए हैं
यदि समवर्ती लेखा परीक्षक एक कंपनी है	जिसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन पर और इसकी ओर से निष्पादित की जाने वाली उक्त दो प्रतियों पर इसके ऊपर लिखित दिन और वर्ष को हस्ताक्षर किए हैं और समवर्ती लेखा परीक्षक ने अपनी सामान्य मुहर को लगाया है।

मैं/हम एतद्द्वारा कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से वितरित करने के लिए और उपरोक्त कार्यों के संबंध में एनईएफटी के माध्यम से हमारी फर्म/कंपनी को दिए जाने वाले भुगतान भी स्वीकार करने के लिए सहमत हैं और पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

_____

(नाम और पदनाम)

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए
साक्षी -

1. _____

_____

पता _____

_____

2. _____

_____

पता _____

_____

_____द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द